IV

अवसंरचना विकास

4.1 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) पर भौतिक अवसंरचना

एक आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) दिन के समय 40 बच्चों तक स.बा.वि.से. की सहायता देने की सेवाओं को देने के लिए एक केन्द्रीय बिन्दु है। कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए, आं.के. को आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकता है। मंत्रालय (2011) द्वारा निर्धारित आ.के. भवन के निर्माण हेतु प्रतिमानों के अनुसार एक आ.के. पास बच्चों/ महिलाओं के बैठने हेतु अलग कमरा, अलग रसोई, खाद्य वस्तुओं के भण्डारण हेतु गोदाम, बच्चों के अनुकूल शौचालय, बच्चों के खेलने हेतु अलग स्थान (इंडौर एवं आउटडोर गतिविधियाँ) तथा सुरक्षित पेय जल सुविधाएं होनी चाहिए।

4.1.1 आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) भवन की उपलब्धता

राज्य महिला तथा बाल विकास मंत्रियों की बैठक (जुलाई 2011) की रिपोर्ट के अनुसार, आं.के. को स्वास्थ्य, पोषण तथा प्रारम्भिक शिक्षा हेतु प्रथम ग्राम/निवास पोस्ट के रूप में समेकित किया जाना है तथा इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि आं.के. के पास पर्याप्त अवसरंचना सहित अपना स्वयं का भवन हो। स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत, राज्यों/सं.शा.क्षे. को या तो सामुदायिक सहायता के माध्यम से या फिर उचित इमारत को किराए पर लेकर या फिर भवन के निर्माण हेतु अन्य योजनाओं से निधियों का उपयोग करके आं.के. भवन का प्रबंध करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच किए गए 2701 आं.के. में से 1043 आं.के. समर्पित स.बा.वि.से. भवनों से संचालन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, 792 आं.के. किराए के परिसर से कार्य कर रहे थे जबकि शेष 866 आं.के. न तो स.बा.वि.से. भवन से और न किराए के परिसर परंतु अन्य स्थानों/स्थलों पर चल रहे थे जैसा निम्न आरेख में दर्शाया गया है:

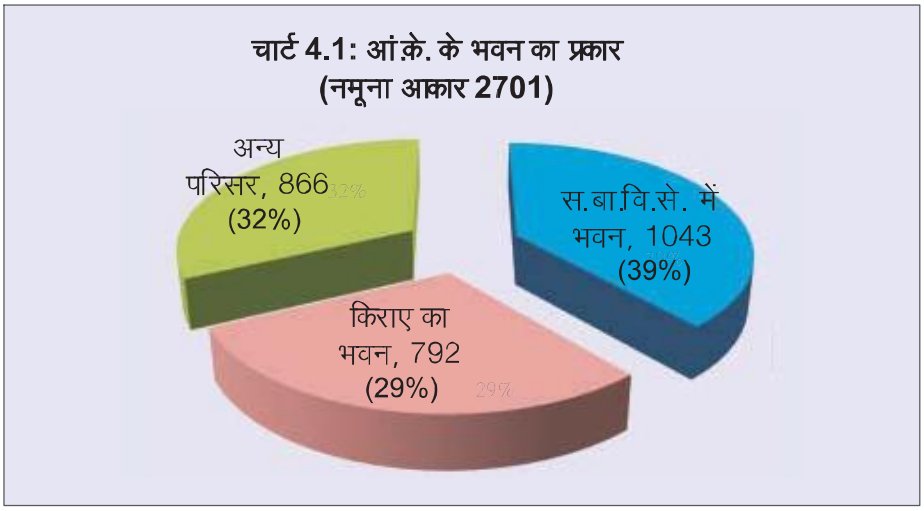

[अन्य परिसरों में मुख्यतः विद्यालय परिसर में स्थित आं.के. (53 प्रतिशत) तथा पंचायत घर /सामुदायिक भवन (29 प्रतिशत) इन स्थानों तथा स्थलों के अलावा (18 प्रतिशत) शामिल हैं।]

आं.के. हेतु स.बा.वि.से. भवन की उपलब्धता लेखापरीक्षित राज्यों में विविध थी। छः राज्यों[1] में नमूना जाँच किए आं.के. के एक-तिहाई से कम के पास अपना स्वयं का भवन था। इसके विपरीत, चार राज्यों[2] में, दो तिहाई से अधिक आं.के. अपने स्वयं के समर्पित स.बा.वि.से. भवन में स्थित थे। ओड़ीशा में फूलबानी में एक आं.के. एक बरगद के पेड़ के नीचे कार्य कर रहा था। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में, 17 नमूना जाँच किए आं.के. प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे थे। चूँकि इन आं.के. को उस खुले स्थान पर कार्य करना था इसलिए इन विद्यालयों ने ग्रीष्म दिवसों के दौरान शाम से सुबह में अपना कार्य समय बदला था इन आं.के. को उस समय खुले स्थान में कार्य करना था। झारखण्ड में, आं.के. ओरान टोला पथरिया, नगर उतरी, गढ़वा तथा आं.के. बैलियाद, धनबाद में निरसा, में बच्चे अपनी शिक्षा बाहर प्राप्त करते पाए गए थे क्योंकि अध्ययन स्थानों को भवन मालिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा था।

नमूना जाँच किए आं.के. के आश्रय की प्रवृति की राज्यवार सूची **अनुबंध 4.1** में दी गई है।

[1] आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल
[2] छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक एवं मेघालय

प्रदर्शन 4.1
कियोझर जिला, ओडिशा में एक लघु आंगनवाड़ी केन्द्र विद्यालय के बरामदे मे कार्य कर रहे हैं

प्रदर्शन 4.2
कंधमाल जिला, ओडिशा का उजामुंडा आं.के. एक पेड़ के नीचे कार्य कर रहा है

प्रदर्शन 4.3
ओडिशा में एक आंगनवाड़ी केन्द्र खुले स्थान में कार्य कर रहा है

प्रदर्शन 4.4 तथा 4.5
आं.के. ओरान टोला पथरिया नगर उतरी, गढ़वा तथा आं.के. बेलियाद, धनबाद जिले में निरसा, झारखण्ड भवन के बाहर कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनका स्थान भवन मालिकों द्वारा अतिक्रमित था

4.1.2 आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) भवनों की भौतिक अवस्था

एक आं.के. को एक अच्छी अवस्था में भवन की आवश्यकता होती है। 2639 नमूना जांच किए आं.के. भवनों की भौतिक अवस्था की स्थिति को नीचे चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.2: आं.के. भवन की भौतिक अवस्था (नमूना आकार: 2639)

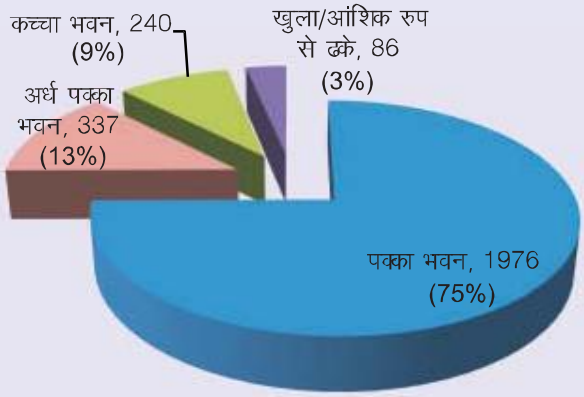

इसके अतिरिक्त, अधिकांश आं.के. टूटे फूटे/अधूरे भवनों में कार्य कर रहे थे। 364 (14 *प्रतिशत*) नमूना जांच किए आं.के. में दरवाजे नहीं थे/टूटे थे, 374 (14 *प्रतिशत*) नमूना जाँच किए आं.के. मे खिड़कियाँ नहीं थी/टूटी थी तथा 354 (13 *प्रतिशत*) आं.के. भवनों में फर्श अपूर्ण/टूटा हुआ था।

छः राज्यों (छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्यप्रदेश, मेघालय, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) में 81 से 97 *प्रतिशत* आं.के. पक्के भवन में स्थित थे। तथापि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में नमूना जांच किए गए आधे से कम आं.के. पक्के भवन में स्थित थे।

सकारात्मक निष्कर्ष

हरियाणा में नमूना जाँच किए सभी 160 आं.के. के पास पक्का भवन था।

नमूना जाँच किए गए आं.के. की भौतिक अवस्था पर राज्य वार ब्यौरे **अनुबंध 4.2** में दिए गए हैं।

इस प्रमुख योजना के कार्यान्वयन के तीन दशकों के पश्चात भी कई आं.के. हेतु अच्छी अवस्था के भवन उपलब्ध नहीं थे। आं.के. में असंरचनात्मक कमियाँ इनके द्वारा प्रदान सेवाओं की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे थे। एक अच्छा भवन माता-पिता के लिए प्राथमिक आर्कषण के रूप में कार्य कर सकता है जो उन्हें आ.के. पर अपने बच्चों को भोजन तथा विद्यालय पूर्व शिक्षा हेतु भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आं.के. की विद्यमान अवसरंचना, केन्द्रों में प्रत्याशित लाभभोगियों को आकर्षित करने योग्य नहीं होगी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों के दौरान आं.के. की भौतिक अवसंरचना के सुधार पर जोर देने से कुछ सुधार हुआ तथा नवीनतम स्थिति के अनुसार 16 *प्रतिशत* आं.के. कच्चे भवन में कार्य कर रहे थे।

प्रदर्शन 4.6
पार्वथीपुरम परियोजना, विजयानगरम जिला, आन्ध्र प्रदेश में टूटा फूटा आं.के. भवन

प्रदर्शन 4.7
गुजरात में एक आं.के. भवन में फर्श की खराब स्थिति

प्रदर्शन 4.8
एक कच्चे भवन में स्थित हमबड़-1 आं.के. परियोजना, कामराज जिला, सूरत, गुजरात

प्रदर्शन 4.9
क्योनझार जिला, ओडिशा में एक आं.के. छप्पर वाले घर में कार्य कर रहा है जो सूर्य, बौछार तथा ठण्ड से प्रभावित है

प्रदर्शन 4.10
आं.के.
जोदीथीमापुरा,
कर्नाटक

4.1.3 आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) भवनों में स्थान तथा फर्नीचर की पर्याप्तता

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आं.के. को अनुपूरक आहार (अ.आ.) के अंतर्गत गरम बना खाना प्रदान करना अपेक्षित है। अ.आ. के अतिरिक्त, आं.के. को तीन से छः वर्षों के आयु-वर्ग के बीच के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना भी अपेक्षित है।

मंत्रालय द्वारा निर्धारित (2011) आं.के. भवन के निर्माण हेतु प्रतिमानों के अनुसार एक आं.के. के पास बच्चों /महिलाओं के बैठने हेतु अलग कमरा, अलग रसोई, खाद्य वस्तुओं के भण्डारण हेतु गोदाम तथा बच्चों के खेलने हेतु अलग स्थान (इंडौर एवं आउटडौर गतिविधियाँ) होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को आधारभूत एवं आवश्यक उपकरण तथा फर्नीचर प्रदान करने हेतु प्रत्येक आं.के. के लिए ₹5000 का व्यय करने की अनुमति थी।

लेखापरीक्षा ने 2716 नमूना आं.के. में स्थान तथा फर्नीचर की उपलब्धता के संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रतिमानों की अनुपालना की नमूना जाँच की तथा निम्नलिखित पाया (राज्यवार डाटा **अनुबन्ध 4.3** में दिया गया है):

- 1752 नमूना जाँच किए गए आं.के. (64.51 *प्रतिशत*) में खाना बनाने हेतु अलग स्थान (रसोई) उपलब्ध नहीं था।
- 1505 नमूना जाँच किए गए आं.के. (55.41 *प्रतिशत*) में खाद्य वस्तुओं के भण्डारण हेतु स्थान नहीं था।
- 1082 नमूना जाँच किए गए आं.के. (39.84 *प्रतिशत*) में बच्चों की इंडौर गतिविधियों हेतु अलग स्थान नहीं था।
- 1202 नमूना जाँच किए गए आं.के. (44.26 *प्रतिशत*) में आउटडोर गतिविधियों हेतु स्थान नहीं था।
- 1405 नमूना जाँच किए गए आं.के. (51.73 *प्रतिशत*) में टेबल तथा कुर्सी जैसा आधारभूत फर्नीचर उपलब्ध नहीं था।

- 1071 नमूना जाँच किए गए आं.के. (39.43 *प्रतिशत*) में चटाईयाँ/दरी उपलब्ध नहीं थे।
- 1262 नमूना जाँच किए गए आं.के. (46.47 *प्रतिशत*) में ब्लैक बोर्ड उपल्ब्ध नहीं थे।

शेष नमूना आं.के. में उपरोक्त पैरामीटरों पर कमियाँ नहीं पाई गई थी।

झारखण्ड में, 15 नमूना जाँच किए आं.के. सभी कार्य एक ही कमरे में करते पाए गए थे जहाँ कोई अलग शौचालय सुविधा, रसोई तथा भण्डारण नहीं है। तीन आं.के. में एक ही कमरे में खुला शौचालय बनाया गया था।

प्रदर्शन 4.11
झारखण्ड के आं.के. में कोई अलग रसोई नहीं

प्रदर्शन 4.12
झारखण्ड के एक आं.के. में सभी गतिविधियां एक ही कमरे में की जाती हैं।

आं.के. हेतु आधारभूत अवसंरचना में ध्यान देने योग्य अभाव प्रदान करने के प्रभावकारिता को योजना के अंतर्गत सेवाएं गम्भीर चुनौती प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा ने आं.के. में अपर्याप्त स्थान तथा फर्नीचर की दृष्टि से अभिप्रेत लाभभोगियों को प्रदान सेवाओं की गुणवता पर आश्वासन नही पाया।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि आं.के. के निर्माण हेतु दिशानिर्देश 10 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। पहले इस संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं थे। भविष्य में आं.के. की भौतिक अवसंरचना में सुधार होना संभव है परंतु इसमें कुछ समय लगेगा।

4.1.4 आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) के भवनों का निर्माण

मंत्रालय ने राज्य मंत्रियों / महिला एवं बाल विकास के प्रभारी सचिवों की विभिन्न बैठको में आं.के. हेतु उपयुक्त अवसरंचना की आवश्यकता पर बल दिया था। स.बा.वि.से. भवनों का अभाव तथा विद्यमान अवसरंचना में कमियों को ध्यान में रखते हुए (इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4..1.1 से 4.1.3 के संदर्भ में) आं.के. भवनों का निर्माण राज्य सरकारों हेतु प्राथमिकता का क्षेत्र रहना प्रत्याशित था। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने राज्यों को विभिन्न योजनाओं जैसे पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि (पि.व.अ.नि.), ग्रामीण अवसरंचना विकास निधि (ग्रा.अ.वि.नि.), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मा.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो.), पंचायती राज तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सां.स्था.क्षे.वि.यो.) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग द्वारा निर्माण प्रारम्भ कराने की सलाह दी थी।

4.1.4.1 ग्रा.अ. वि.नि. योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) के भवन निर्माण में विलम्ब

चार राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात एवं राजस्थान) में, 8700 आं.के. को ₹316.06 करोड़ की संस्वीकृत लागत को शामिल करते हुए 2006-11 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा निर्माण हेतु लिया गया था। पचासी *प्रतिशत* लागत को ग्रा.अ.वि.नि. के अंतर्गत जमा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) से प्रदान किया गया था तथा शेष 15 *प्रतिशत* को राज्य सरकारों के संसाधनों से प्रदान किया गया था। शेष राज्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 8700 संस्वीकृत निर्माण कार्यों में से केवल 3070 आं.के. (35 *प्रतिशत*) भवन पूर्ण थे। 1831 भवनों (21 *प्रतिशत*) के संबंध में संस्वीकृति के एक से चार वर्षों के पश्चात भी कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना था। रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. ऋण से आं.के. के निर्माण के राज्यवार ब्यौरे नीचे तालिका 4.1 में दिए गए हैं।

तालिका 4.1 :रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. ऋण से आं.के. के निर्माण में विलम्ब

राज्य	*संस्वीकृत राशि (रू. करोड़ में)*	आं.के. की संख्या				संस्वीकृति का वर्ष	समाप्ति की निर्धारित तिथि	निम्न को स्थिति
		निर्माण हेतु संस्वीकृति	वास्तव में निर्मित	प्रगति में निर्माण कार्य	अभी प्रारंभ किए जाने वाले निर्माण कार्य			
		ब्रेकेट मे संस्वीकृत संख्या का प्रतिशतता						
आन्ध्र प्रदेश	56.32	1,976	665 (34)	684 (35)	627 (32)	2008-09	उपलब्ध नहीं	मार्च -2012
बिहार	149.75	3,011	911 (30)	1,495 (50)	605 (20)	2006-07	मार्च-2008	नवम्बर-2011
गुजरात	100.00	3,333	1,486 (45)	1,248 (37)	599 (18)	2009-10	मार्च -2012	दिसंबर -2011
राजस्थान	9.99	380	8 (2)	372 (98)[3]	उ.न.	2009-10	मार्च -2011	सितंबर-2011
कुल	**316.06**	**8,700**	**3,070 (35)**	**3,799 (44)**	**1,831 (21)**			

[3] *प्रगति में निर्माण कार्य तथा अभी प्रारम्भ किए जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु अलग डाटा उपलब्ध नहीं है।*

बिहार में, लेखापरीक्षा ने पाया कि आं.के. के निर्माण कार्य हेतु संस्वीकृत ₹149.75 करोड़ मे से ₹116.64 करोड़ कार्यकारी अभिकरणो (भवन निर्माण विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना) सितम्बर 2010 तक जारी किए गए थे। इनमे से नवम्बर 2011 तक केवल ₹46.76 करोड़ व्यय किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ग्रा.अ.वि.नि. योजना के अंतर्गत रा.कृ.ग्रा.वि.बैं ऋण के प्रति ₹102.99 करोड़ की अव्ययित निधियों पर 6.5 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर ₹6.69 करोड़ की ब्याज देयता हो गई थी।

इसी प्रकार, राजस्थान में ₹9.99 करोड़ की राशि मार्च 2010 में 16 जिला परिषदों के निजी जमा खातों में रखी गई थी। इसमें से सितंबर 2011 तक केवल ₹0.22 करोड़ का व्यय किया गया था तथा ₹9.77 करोड की शेष राशि जिला परिषद के पास पड़ी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.कृ.ग्रा.वि.बैं ₹8.30 करोड़ (₹9.77 करोड़ का 85 *प्रतिशत*) की ऋण राशि पर 6.5 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर पर ₹53.93 लाख का ब्याज प्रभारित कर रहा था।

उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2008-09 में 1644 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) के निर्माण हेतु जारी की गई ₹48.33 करोड़ की राशि का, सरकार द्वारा निधियों को देरी से जारी करने (02 मार्च 2009) के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सरकार को अभ्यपर्ण कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने कार्यों की धीमी प्रगति के विभिन्न कारण पाए; सामान्य कारण नीचे दिए गए हैं:

- आं.के. हेतु स्थलों को अंतिम रूप न दिया जाना (गुजरात)
- स्थल विवाद, स्थानीय स्तरीय समस्याएं तथा उपयुक्त स्थलों की गैर-उपलब्धता (आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा गुजरात)
- निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब (आन्ध्र प्रदेश) तथा
- कम इकाई लागत (आन्ध्र प्रदेश ₹2.85 लाख प्रति इकाई)

4.1.4.2 विभिन्न राज्य सरकार योजनाओं (राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियां) के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) भवनों के निर्माण में विलम्ब

2006-11[4] के दौरान सात लेखापरीक्षित राज्यों में 68,272 आं.के. का निर्माण प्रारम्भ किया गया था जिसमें से 39,606 आं.के. भवनों (58.01 *प्रतिशत*) का निर्माण पूरा किया गया था। शेष आं.के. भवनों से संबंधित कार्य या तो प्रगति में या फिर उनकी संस्वीकृति के एक से पाँच वर्षों की समाप्ति के पश्चात भी अभी प्रारम्भ किया जाना था। आं.के. भवनों के निर्माण की स्थिति पर राज्यवार विवरण नीचे दिए गए है:

[4] छत्तीसगढ़ के मामले में 2001-02 से 2010-11 अर्थात राज्य के निर्माण से

तालिका 4.2: आं.के. भवनों के निर्माण की स्थिति

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
आन्ध्र प्रदेश	• सुनामी राहत के अंतर्गत, विश्व बैंक ने सितंबर 2005 तक निर्मित किए जाने वाले 400 आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) हेतु राज्य को ₹5.00 करोड़ आबंटित किए। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 2012 को 239 आं.के (60 *प्रतिशत*) का निर्माण किया गया था, 141 आं.के. (35 *प्रतिशत*) के संबंध में कार्य प्रगति में था तथा 20 आं.के. (5 *प्रतिशत*) का निर्माण अभी आरंभ किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्ण किए जाने वाले कथित किसी भी 239 आं.के. के संबंध में समापन रिपोर्ट अभिलेख में नहीं थी। • मंत्रालय ने 90 मॉडल आं.के. के निर्माण हेतु आई.जी.ए. योजना के अंतर्गत मई 2008 में ₹0.38 करोड़ संस्वीकृत किए। इनमें से मार्च 2012 को 55 मॉडल आं.के. का निर्माण किया गया था, 30 आं.के. का निर्माण कार्य प्रगति में थे जबकि पाँच आं.के. का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना था। • पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) के अंतर्गत, 31 मार्च 2011 तक समाप्ति की निर्धारित तिथि सहित 2006-11 के दौरान 2569 आं.के. को निर्माण हेतु लिया गया था। इनमें से मार्च 2012 तक 1445 आ.के. (56 *प्रतिशत*) का निर्माण किया गया था। 209 आं.के. (9 *प्रतिशत*) का निर्माण कार्य अभी भी प्रारंभ किया जाना था तथा 915 आं.के. (35 प्रतिशित) हेतु कार्य प्रगति में था। • 2006-11 के दौरान, राज्य सरकार ने जिला परिषदों के माध्यम से 1333 आं.के. के निर्माण हेतु ₹19.49 करोड़ संस्वीकृत किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्यों की समाप्ति की निर्धारित तिथि को संस्वीकृति आदेश में दर्शाया नहीं गया था। व्यय विवरणियों, निधि उपयोगिता की स्थिति तथा परियोजना निदेशक द्वारा जारी समाप्ति रिपोर्ट अभिलेख में नहीं पाए गए थे।
छत्तीसगढ़	2001-02 से 2010-11 के दौरान (राज्य के गठन से) निर्माण किए जाने वाले 12,012 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में से 8,705 आं.के. (72 *प्रतिशत*) का निर्माण किया गया था। 1904 आं.के. (16 *प्रतिशत*) हेतु निर्माण कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था तथा कार्यान्वयन अभिकरणों (ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएं तथा जनपद पंचायतें) के पास निधियों को जमा कराने के तीन से आठ वर्षों की समाप्ति के पश्चात भी 1403 आं.के. (12) हेतु कार्य प्रगति में था।
झारखंड	2008-09 तथा 2009-10 के दौरान, 10 आं.के. का एक नमूना जांच किए जिले (दुमका) के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में निर्माण किया जाना था। केन्द्रों का क्रमशः सितम्बर 2009 तथा जनवरी 2010 तक ₹2.32 लाख की इकाई लागत पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.का.) के अंतर्गत निर्माण किया जाना था। तथापि, जनवरी 2012 तक केवल एक आं.के. का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्माण में विलम्ब तथा आं.के. के डिजाइन में बीचों बीच संशोधन के कारण कार्यान्वयन अभिकरण ने ₹4.32 लाख प्रति इकाई की संशोधित दर पर माँग को बढ़ाया था। इसके परिणामस्वरूप ₹19.97 लाख की लागत में वृद्धि हुई जबकि आं.के. अपूर्ण रहे।
मध्य प्रदेश	2006-11 के दौरान, राज्य योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा जिला परिषदों तथा जनपद पंचायतों के माध्यम से 5695 आं.के. भवनो का निर्माण संस्वीकृत किया गया था। इनमें से, दिसम्बर 2011 को 2049 आं.के. (36 *प्रतिशत*) भवनो का निर्माण किया

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
	गया था तथा शेष अपूर्ण थे। ₹116.66 करोड़ की राशि एक से 5 वर्षों[5] की अवधि तक कार्यकारी अभिकरणो के पास अव्ययित रही। विभाग ने बताया (जनवरी 2012) की भूमि की अनुपलब्धता तथा/ अथवा ग्राम पंचायत सरपंच की मृत्यु/ बदलाव के कारण आं.के. का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका।
ओडिशा	राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण हेतु लिए गए 31824 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) भवनों में से 16720 आं.के. (53 *प्रतिशत*) का निर्माण किया गया था तथा शेष 15104 भवनों (53 *प्रतिशत*) को अभी भी पूरा किया जाना था।
राजस्थान	• 2006-08 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्माण हेतु लिए गए 3,577 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) भवनों में से, केवल 749 (21 *प्रतिशत*) भवन पूर्ण किए गए थे। • देवनारायण योजना के अंतर्गत 132 आं.के. के निर्माण हेतु 2009-11 के दौरान तीन जिला परिषदों (करोली, स्वाई माधोपुर तथा अलवर) को ₹3.80 करोड़ का अंतरण किया गया था। तथापि, नवम्बर 2011 को केवल एक आं.के. को पूरा किया गया था।
उत्तर प्रदेश	• जुलाई 2006 में, राज्य सरकार ने 5000 आं.के. भवनों के निर्माण हेतु ₹75 करोड़ संस्वीकृत किए। निर्माण कार्य को निधियों की निर्मुक्ति से तीन महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। इनमें से, मार्च 2012 को 4751 आं.के. (95 *प्रतिशत*) भवनों को पूरा किया गया था जबकि 21 भवन पाँच वर्षों की समाप्ति के पश्चात भी अपूर्ण था। शेष 228 भवनों (5 *प्रतिशत*) के निर्माण कार्य को निधियों की अनुपलब्धता के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका। इन भवनों हेतु आवंटित ₹3.42 करोड़ की राशि राज्य खजाने में जमा रही थी। • 2007-08 में 416 आं.के. भवनों के निर्माण हेतु जारी ₹15 करोड़ को वास्तव में व्यक्तिगत बही खाते (व्य.ब.खा.) में रखा गया था तथा अंत में मार्च 2010 में प्राप्ति शीर्ष में जमा कराया गया था।

4.1.4.3 उत्तरपूर्वी राज्यों में आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) का निर्माण

विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने, आं.के. के निर्माण हेतु आठ उत्तरपूर्वी राज्यों को 2001-02 से 100 *प्रतिशत* वित्तपोषण सहायता प्रदान की है। राज्य सरकार/स्थानीय समुदाय को निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करानी थी।

मंत्रालय ने 2001-11 की अवधि के दौरान आठ उत्तरपूर्वी राज्यों में 68,504 आं.के. के निर्माण हेतु इन राज्यों को ₹966.54 करोड़ जारी किए। इसके प्रति फरवरी 2012 को 23780 आं.के. (35 *प्रतिशत*) की कमी को छोड़ते हुए वास्तव में 44724 आं.के. का निर्माण किया गया था। इन राज्यों के पास अप्रयुक्त के रूप में ₹229.27 करोड़ (कुल निर्मुक्ति का 24 *प्रतिशत*) को छोड़ते हुए इस उद्देश्य हेतु ₹737.27 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था। राज्यवार विवरण **अनुबंध 4.4** में दिए गए हैं।

[5] कार्यकारी अभिकरणों के पास बकाया पड़ी अग्रिमों के वर्षवार विवरण (₹करोड़ में): 2006-07 - 1.20, 2007-08 - 6.72, 2008-09 - 20.50, 2009-10 - 38.28, 2010-11 - 49.96

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय, आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) के निर्माण की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की मानीटरिंग में विफल रहा। राज्यों को जारी संस्वीकृति पत्र में निर्माण कार्य की समाप्ति तथा निधियों के उपयोग की निर्धारित तिथि का उल्लेख नहीं था।

मंत्रालय द्वारा की गई जाँच केवल सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार निधियों की प्रथम किश्त के उपयोग के साथ राज्यों को निधियों की दूसरी किश्त (संस्वीकृत राशि का 50 *प्रतिशत*) की निर्मुक्ति को जोड़ना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्यों को निधियों की दूसरी किश्त जारी करने के 44 नमूना जाँच किए मामलों में से 16 में इस मूल पूर्व-शर्त का भी पालन नहीं किया गया था।

मामला अध्ययन: मेघालय

2006-07 के दौरान, मंत्रालय ने ₹16.82 करोड़ की अनुमानित लागत पर 961 संस्वीकृत आं.के. भवनों के प्रति 480 आं.के. के निर्माण हेतु अनुदान की 50 *प्रतिशत* राशि ₹8.41 करोड़ जारी किए थे। राज्य विभाग ने चरण V के अंतर्गत 178 आं.के. के निर्माण हेतु फरवरी 2010 और मार्च 2011 के बीच अर्थात तीन से चार वर्षों के विलम्ब के पश्चात, जिला कार्यक्रम कार्यालयों को ₹3.12 करोड़ जारी किए। इनमें से, 31 मार्च 2011 तक 69 आं.के. का निर्माण किया गया तथा कार्य करना आरंभ कर दिया था, 13 आं.के. का निर्माण कार्य प्रगति में था तथा 96 आं.के. का निर्माण कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था।

राज्य विभाग ने आगे चरण VI के अंतर्गत नवम्बर 2011 तथा मार्च 2012 के बीच 302 आं.के के निर्माण हेतु जिला कार्यक्रम कार्यालयों को ₹3.21 करोड़ जारी किए। चरण VI के अंतर्गत कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था।

इस प्रकार, आं.के. के निर्माण हेतु मंत्रालय से निधियों की प्राप्ति के पाँच वर्षों के पश्चात भी 398 आं.के. (83 *प्रतिशत*) के संबंध में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। यह ₹6.97 करोड़ की सीमा तक निधियों के अवरोधन को दर्शाता है आगे जिसका परिणाम शेष 50 *प्रतिशत* अनुदान, जिसे अनुदान की प्रथम किश्त के साथ जोड़ा जाना था, का दावा करने हेतु राज्य की विफलता में हुआ।

राज्य विभाग ने बताया (अप्रैल 2012) कि आं.के. के निर्माण में विलम्ब उचित समय के भीतर इस उद्देश्य हेतु दान की गई भूमि का पंजीकरण पूरा करने में उनकी विफलता के कारण हुआ।

आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) भवनों के निर्माण की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कई राज्यों में आं.के चलाने हेतु स.बा.वि.से. भवनों की भारी कमी के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में पर्याप्त प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई थी। यद्यपि राज्यों द्वारा प्रारम्भ निर्माण कार्य विलम्बों का वर्णन करते हैं जिसका परिणाम कार्यान्वयन अभिकरणों के पास निधियों के अवरोधन में हुआ। इसके अतिरिक्त, सरकारी निवेश के लाभों को अभिप्रेत लाभभोगियों तक समय पर नहीं पहुंचाया जा सका।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि भौतिक प्रगति तथा वित्तीय उपयोग में विलम्ब से संबंधित मामले को समीक्षा बैठकों तथा निरीक्षण दौरों के समय उ.पू. राज्यों के साथ उठाया गया था। मंत्रालय विलम्ब की जांच करने हेतु एक नया फार्मेट तैयार कर रहा था। 30 जून 2012 को, संस्वीकृत 68504 आं.के. में से 32.37 *प्रतिशत* की कमी को छोड़ते हुए 46,330 का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार, जारी ₹966.54 करोड़ में से अप्रयुक्त निधियों के रूप में 18.36 *प्रतिशत* को छोड़ते हुए ₹789.05 करोड़ का उपयोग किया गया है।

अनुशंसा

- ***मंत्रालय को राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ आं.के. के निर्माण को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करना चाहिए जिससे कि निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले आं.के. हेतु अच्छे गुणवत्ता वाले भवनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।***

4.2 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर (आं.के.) स्वास्थ्यकर दशा तथा स्वच्छता

आं.के. की स्वास्थ्यकर दशा इस तथ्य की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है कि लाभभोगियों को दिन के दौरान पर्याप्त समय हेतु आं.के. पर रहना अपेक्षित था। मंत्रालय के निर्देशों (2011) के अनुसार, बच्चों के अनुकूल शौचालय तथा पेयजल सुविधा एक आं.के. के प्रभावी कार्य हेतु आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताएं थीं।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकांश आं.के. में स्वास्थ्यकर दशा तथा स्वच्छता के अनुरक्षण हेतु आवश्यक अवसंरचना की कमी थी जैसाकि नीचे चर्चा की गई है (राज्यवार विवरण **अनुबंध 4.5** में दिए गए है):

अच्छे कार्य

- छत्तीसगढ़ तथा गुजरात में सभी आं.के. में पेयजल उपलब्ध था।
- कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 90 *प्रतिशत* से अधिक आं.के. के पास पेयजल सुविधाएं थीं।
- गुजरात, मेघालय तथा उत्तर प्रदेश में 75 *प्रतिशत* से अधिक आं.के. में शौचालय थे।

- 1415 आं.के. (नमूना जाँच किए गए के 52.10 *प्रतिशत* आं.के.) में कोई शौचालय नहीं था।
- 880 आं.के. (नमूना जांच किए गए के 32.40 *प्रतिशत* आं.के.) में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- इस तथ्य कि आं.के. में हैण्ड पम्प/ट्यूब वैल पेयजल का मुख्य स्रोत थे के बावजूद लेखापरीक्षा ने पाया कि पानी की आमतौर पर जाँच नहीं की गई थी। केवल छत्तीसगढ़ मेघालय, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के 242 आं.के. के मामले में इसकी जाँच की गई थी।
- 2160 आं.के. (नमूना जाँच किए आं.के. के 79.53 *प्रतिशत*) में कूड़े के निपटान हेतु अपेक्षित, स्वच्छता ब्लाक का अभाव था।

छः राज्यों[6] में लगभग दो-तिहाई अथवा अधिक आं.के. में शौचालय सुविधाएं नहीं थी। इसी प्रकार, पाँच राज्यों[7] में लगभग आधे अथवा अधिक नमूना जाँच किए आं.के. पेय जल सुविधाओं से वंचित थे।

राज्य - विनिर्दिष्ट मामले

छत्तीसगढ़: पेयजल के स्रोत के रूप में हैण्डपम्प/ट्यूब वाले 89 आं.के. में से 65 आं.के. में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पानी की अनुपलब्धता के कारण 2006-11 की अवधि के दौरान 1000 दिनों से अधिक के लिए जल आपूर्ति बाधित रही।

मध्यप्रदेश: लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 28 आं.के. में हैण्डपम्प 500 दिनों तक खराब रहे तथा नौ आं.के. में यह 500 से 1000 दिनों तक खराब रहे। इन आं.के. में पेयजल हेतु कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं किया गया था।

आं.के. को अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सहायता, जो स्वास्थ्यकर दशा तथा स्वच्छता बनाए रखने हेतु अपेक्षित है, ने योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों को उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। कई आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में मूल सुविधाओं जैसे कि शौचालय तथा पेयजल के अभाव ने युवा बच्चों को अस्वास्थ्यकर स्थिति में डाला।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि आं.के. के निर्माण तथा अनुरक्षण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे। अतः स्वास्थ्यकर दशा तथा स्वच्छता से संबंधित सुविधाओं को आवश्यक संसाधनों की अनुपस्थिति में अनदेखा किया जा रहा था। तथापि, सभी राज्यों को एक संयुक्त पत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने, आं.के. में पेयजल एवं शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध करवा कर अभिसरण पहल को अर्थपूर्ण बनाने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, स.बा.वि.से. के पुनर्संरचना तथा सुदृढ़ीकरण की योजना के अंतर्गत लगभग 50 *प्रतिशत* आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण तथा विद्यमान किराया प्रतिमानों हेतु निधियां स्वीकृत की गई थीं। इस पहल के अंतर्गत लगभग दो लाख आं.के. को लाभ पहुंचाया जाना था। इसके अतिरिक्त, नवीनतम स्थिति के अनुसार 69 *प्रतिशत* आं.के. में पेयजल सुविधा थी तथा 50 *प्रतिशत* आं.के. में शौचालय की सुविधा थी।

---

[6] *आन्ध्र प्रदेश – 82 प्रतिशत, बिहार – 71 प्रतिशत, झारखण्ड – 74 प्रतिशत, उड़ीसा – 70 प्रतिशत, राजस्थान – 64 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल – 69 प्रतिशत*

[7] *आन्ध्र प्रदेश - 91 प्रतिशत, बिहार– 46 प्रतिशत, हरियाणा – 71प्रतिशत, उड़ीसा – 49 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल – 48 प्रतिशत*

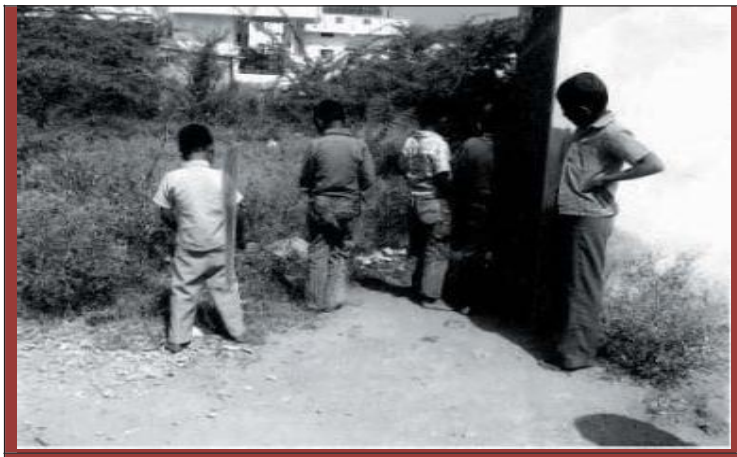

प्रदर्शन 4.13
मेहबूब नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश में बिना शौचालय के कार्य कर रहा आंगनवाड़ी केन्द्र

प्रदर्शन 4.14
क्योनझार जिला, ओडिशा में सार्वजनिक नाली तथा कूड़ा क्षेपण यार्ड के निकट स्थित एक आंगनवाड़ी केन्द्र

प्रदर्शन 4.15
कर्नाटक में आंगनवाड़ी केन्द्र अजमपुर VI की गंदी स्थिति

प्रदर्शन 4.16
गुजरात में पशुशाला में कार्य कर रहा आंगनवाड़ी केन्द्र

4.3 उपकरण की उपलब्धता

स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत पोषण तथा अनुपूरक पोषण कार्यक्रम वृद्धि मानीटरिंग तथा पोषण निगरानी हेतु प्रदान करता है। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का महीने में एक बार वजन किया जाना है तथा 3-6 वर्षों की आयु के बच्चों का तीन महीने में वजन किया जाना है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य जाँच घटक में छः वर्षों से कम की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल, गर्भवती माताओं को प्रसव-पूर्व देखभाल तथा स्तन्यदा माताओं को प्रसवोत्तर देखभाल अपेक्षित है।

सकारात्मक निष्कर्ष

चार लेखापरीक्षित राज्यों (गुजरातः 100 *प्रतिशत*, कर्नाटकः 99 *प्रतिशत*, मध्यप्रदेशः 95 *प्रतिशत* तथा ओडिशाः 93 *प्रतिशत*) में 90 *प्रतिशत* से अधिक आं.के. में क्रियागत शिशु वजन मशीन थी।

26 *प्रतिशत* आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में उपलब्ध शिशु वजन मशीनें कार्य करती नहीं पाई गई थीं तथा व्यस्क वजन मशीनें 58.17 *प्रतिशत* आं.के. में उपलब्ध नहीं थी जैसाकि नीचे चार्ट में दर्शाया गया है (राज्य वार ब्यौरे **अनुबंध 4.6** में दिए गए है):

चार्ट 4.3: आं.के. पर वज़न मशीनों की उपलब्धता
नमूना जांच आं.के. की सं.: 2716

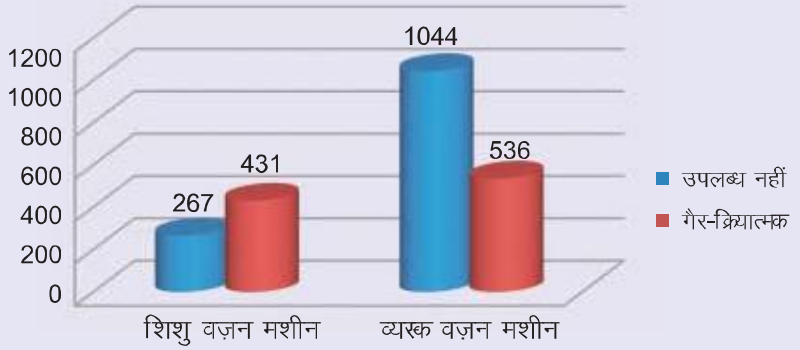

आन्ध्र प्रदेश में केवल पांच *प्रतिशत* नमूना जाँच किए आं.के. तथा झारखण्ड में 40 *प्रतिशत* नमूना जाँच किए आं.के. में शिशु वजन करने की मशीन क्रियागत थी। छः राज्यों[8] में 50 *प्रतिशत* से कम आं.के. में व्यस्क वजन मशीनें क्रियागत थी।

आं.के. में वजन करने की मशीन के अभाव में, परिणाम संकेतक के रूप में योजना के अनुपूरक पोषण घटक की मॉनीटरिंग असंभावित थी जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 6.3.1 में चर्चा की गई है।

[8] *आन्ध्र प्रदेश – 6 प्रतिशत, गुजरात – 0 प्रतिशत, झारखण्ड – 34 प्रतिशत, कर्नाटक – 13 प्रतिशत, ओड़ीशा – 40 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश – 0 प्रतिशत*

4.4 अनुपूरक आहार (अ.आ.) प्रदान करने हेतु बर्तनों की अनुपलब्धता

स.बा.वि.से. के अंतर्गत, तीन से छः वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) तथा छोटे आं.के. में गर्म बना खाना दिया जाना निर्धारित था। राज्यों/सं.शा.क्षे. को योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषण घटक के भाग के रूप में इसके लिए प्रबंध करने अपेक्षित थे। मंत्रालय के अनुदेशों (अक्तूबर 2009) के अनुसार प्रत्येक आं.के. को आधारभूत एवं आवश्यक उपकरण तथा फर्नीचर हेतु ₹5000 का व्यय करना स्वीकृत था।

2716 आं.के. के नमूनों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि आं.के. में खाना पकाने तथा उसको लाभभोगियों को प्रदान करने हेतु अपेक्षित बर्तन कई आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में उपलब्ध नहीं थे जैसा कि नीचे चार्ट में दर्शाया गया है (राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध 4.7** में दिए गए हैं):

गुजरात में अच्छे अभ्यास

- राज्य सरकार ने अपने 49,926 आं.के. को ₹33.40 करोड़ की लागत पर गैस स्टोव, गैस सिलेंडर तथा इडली कूकर प्रदान किए।
- 2009-10 से आगे, राज्य सरकार, बिजली के बिल के प्रति ₹200 प्रति आं.के. अदा करती है।

चार्ट 4.4: नमूना जांच किए गए आं.के. में मूलभूत बर्तनों की अनुपलब्धता

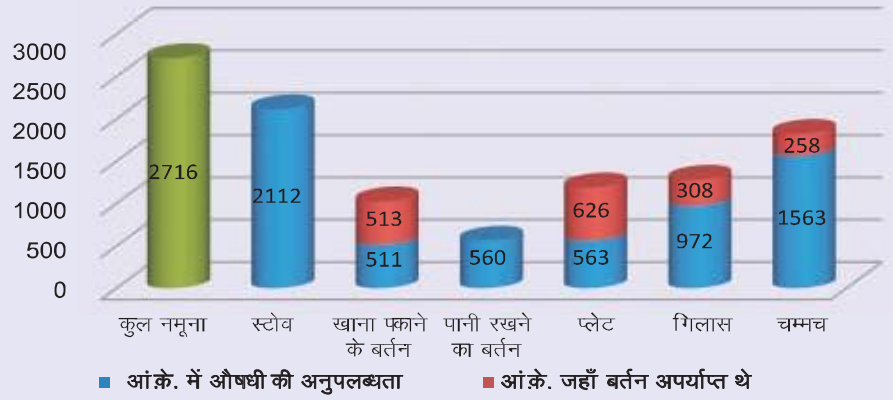

इस प्रकार, नमूना जाँच किए आं.के. में आधारभूत बर्तनों की अनुपलब्धता ने दर्शाया कि लाभभोगियों को प्रदान किए गए अनुपूरक पोषण की गुणवत्ता, योजना की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी।

अनुशंसाएं

- ***मंत्रालय आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) हेतु अनिवार्य न्यूनतम आवश्यक उपकरण, फर्नीचर, बर्तन आदि की एक सूची तैयार करे तथा राज्य को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इनको बढ़ाने की स्वतंत्रता सहित इनके लिए वित्तपोषण सहायता प्रदान करें।***
- ***विद्यमान आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) को अपर्याप्त तथा खराब बर्तनों एवं उपकरण को बदलने हेतु भी वित्तपोषण सहायता दी जाए।***

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि इस संबंध में लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को पर्याप्त कार्रवाई हेतु नोट कर लिया गया था।

4.5 औषधि किट पर व्यय में कमी

मार्च 2000 की स.बा.वि.से. के दिशानिर्देशों ने औषधि किटों का राज्य/सं.शा.क्षे. स्तरीय प्रापण तथा आं.के. को इनका संवितरण निर्धारित किया। आं.के. हेतु औषधि किटों के प्रापण का संकेंद्रीकरण प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने तथा आं.के. को समय पर किट उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। भारत सरकार ने औषधि किटों का प्रापण करने हेतु राज्य/सं.शा.क्षे. को ₹600 प्रति क्रियाशील आं.के. की दर पर निधियाँ प्रदान की।

औषधि किटों के प्रापण हेतु मंत्रालय द्वारा राज्य/सं.शा.क्षे. को जारी निधियों तथा इनके द्वारा अपने व्य.वि. में सूचित व्यय के विश्लेषण ने व्यय में भारी कमी को प्रकट किया। राज्यों, जिन्होंने औषधि किटों के प्रापण पर कोई व्यय नहीं किया था तथा जहाँ व्यय में कमी 30 *प्रतिशत* से अधिक थी, को नीचे सूचीबद्ध किया गया है (राज्यवार विवरण **अनुबंध 4.8** में दिए गए हैं):

तालिका 4.3: औषधि किटों के प्रापण पर व्यय में कमी

वर्ष	राज्य जहाँ औषधि किटों के प्रापण पर निधि का व्यय नहीं किया गया था	राज्य जहाँ कमी 30 से 99 *प्रतिशत* थी
2006-07	गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड **(3)**	*दिल्ली - 99 प्रतिशत, कर्नाटक - 95 प्रतिशत, बिहार - 83 प्रतिशत, पंजाब - 79 प्रतिशत, केरल - 45 प्रतिशत* **(5)**
2007-08	असम, हरियाणा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश **(4)**	*कर्नाटक - 85 प्रतिशत, पंजाब - 75 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश - 40 प्रतिशत, महाराष्ट्र - 35 प्रतिशत* **(4)**
2008-09	दिल्ली, गोवा, हरियाणा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड **(7)**	*उत्तर प्रदेश - 61 प्रतिशत, कर्नाटक - 31 प्रतिशत* **(2)**
2009-10	बिहार, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, झारखण्ड, मणिपुर, मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल **(10)**	*पंजाब - 35 प्रतिशत* **(1)**
2010-11	मणिपुर, आन्ध्रप्रदेश, ओडिशा, पंजाब **(4)**	*उत्तर प्रदेश - 50 प्रतिशत, उत्तराखण्ड - 39 प्रतिशत* **(2)**

राज्यों में नमूना जाँच ने आगे आं.के. हेतु औषधि किटों के प्रापण में कमियों तथा विलम्बों को प्रकट किया, जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 4.4: औषधि किटों के प्रापण पर अन्य राज्य विनिर्दिष्ट निष्कर्ष

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)
बिहार	तीन नमूना जांच किए जि.का.का. में मार्च 2011 को, औषधि किटों की खरीद हेतु जारी ₹58.17 लाख को अप्रयुक्त रखा गया था।	0.58
छत्तीसगढ़	2007-08 से 2009-10 के दौरान विभाग ने कोई औषधि किट नहीं खरीदी थी जिसका परिणाम निधियों के उपयोग न करने में हुआ।	5.96
गुजरात	2009-10 तथा 2010-11 के दौरान औषधि किटों की खरीद हेतु जिला पंचायतों को जारी क्रमशः ₹2.59 करोड़ तथा ₹2.87 करोड़ पंचायतों के निजी बही खातों में पड़े रहे।	5.46
हरियाणा	• औषधि किटों का प्रापण करने के बजाए राज्य सरकार ने खुली दवाईयां खरीदी तथा इसकी थोड़ा-थोड़ा करके आं.के. को आपूर्ति की। नमूना जांच किए किसी भी आं.के. ने निर्धारित औषधि सेट को पूरा नहीं किया था। उदाहरण हेतु, दो नमूना जांच किए जिलों में 18.31 लाख मेबेडाजोल गोलियों की कुल आवश्यकता में से 2006-07 के दौरान केवल चार लाख गोलियों की आपूर्ति की गई थी। दोषी आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। • वर्ष 2010-11 के लिए आठ दवाईयों, जिनके लिए मार्च 2011 में तीन आपूर्ति आदेश दिए गए थे, में से अगस्त 2011 से फरवरी 2012 के दौरान केवल पाँच प्रकार की दवाईयों की आपूर्ति की गई थी। शेष दवाईयों हेतु विक्रेता ने मार्च 2011 में उत्पादन नियंत्रण के कारण आपूर्ति हेतु अपनी असमर्थता को सूचित किया। विभाग मार्च 2012 को वैकल्पिक प्रबंधनों हेतु ठोस उपाय करने में विफल रहा तथा ₹53.51 लाख की अव्ययित राशि को सावधि जमा प्राप्तियों में रखा।	0.54
झारखण्ड	मार्च 2011 में, औषधि किटों की खरीद हेतु ₹2.15 करोड़ आवंटित किए गए थे। तीन नमूना जाँच किए गए जिलों में से फरवरी 2012 को गर्वा में आं.के. तथा दुमका के सात परियोजना क्षेत्रों में किसी औषधि किट की आपूर्ति नहीं की गई थी। वर्ष 2003-04 में औषधि किट की खरीद हेतु जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, दुमका को प्रदान किए ₹4.57 लाख व्यर्थ पड़े थे। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग के मानदण्डों के अनुसार दवाईयों का शैल्फ जीवन 18 महीनों से कम नहीं होना चाहिए। तथापि, फरवरी 2012 में प्रदान औषधि किटों की अंतिम तिथि जनवरी 2013, इस प्रकार 11 महीनों का शेल्फ जीवन बचा।	2.15
उत्तर प्रदेश	• वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान, क्रियाशील आं.के. की संख्या क्रमशः 1,19,538 तथा 1,19,595 थी। तथापि, राज्य सरकार ने इन वर्षों के दौरान क्रमशः 1,25,030 तथा	1.17

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)
	1,34,956 किटों का प्रापण का परिणाम 1.17 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। • पर्याप्त प्रापण के बावजूद, 2010-11 के दौरान क्रियाशील 58,686 आं.के. तथा 14,686 छोटे आं.के. को किसी औषधी किट की आपूर्ति नहीं की गई थी।	

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकारें निधियों की उपलब्धता के बावजूद औषधि किटों के प्रापण में विफल रहीं। मंत्रालय ने औषधि किटों सहित स.बा.वि.से. (सामान्य) के सभी घटकों हेतु राज्यों को वार्षिक रूप से निधियां जारी की। परंतु यह राज्यों द्वारा निधियों के घटक-वार उपयोग विशेष रूप से औषधि किटों का प्रापण तथा आं.के. को उनकी आपूर्ति की समीक्षा करने में विफल रहा।

4.5.1 औषधि किटों की अनुपलब्धता

वार्षिक आधार पर औषधि किटों के प्रापण में राज्यों की विफलता का आं.के. में इनकी उपलब्धता से सीधा संबंध है। 11 नमूना जाँच किए राज्या[9] के नमूना जांच किए आं.के. में औषधि किटों की वर्षवार उपलब्धता नीचे दी गई है (राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध 4.9** में हैं):

तालिका 4.5 आं.के. में औषधि किट की अनुपलब्धता

लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखण्ड में 2006-11 के दौरान नमूना जाँच में किसी भी आं.के. में औषधि किट उपलब्ध नहीं थी। गुजरात तथा छत्तीसगढ़ में लेखापरीक्षा की पाँच वर्षों की अवधि में से क्रमशः चार तथा तीन वर्षों की अवधि के दौरान नमूना जांच किए गए किसी भी आं.के. में किट उपलब्ध नहीं थी।

[9] आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल हेतु वर्ष वार डाटा उपलब्ध नहीं था जहाँ लेखापरीक्षा के समय सभी नमूना जांच किए आं.के. औषधि किट उपलब्ध थी।

इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बावजूद औषधि किटों के प्रापण तथा आं.के. की आपूर्ति में राज्य सरकारों की विफलता ने योजना के युवा लाभभोगियों को आम बीमारियों की दोषपूर्णता की ओर अग्रसर किया।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. को औषधि किटों के प्रापण पर व्यय न करने के कारणों को प्रस्तुत करने हेतु बार-बार कहा गया था। मामले को समीक्षा बैठकों तथा राज्य दौरे/निरीक्षण के दौरान भी उठाया गया था। इसने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2012-13 से औषधि किटों सहित कार्यक्रम घटकों की पूर्ण लागत को विचलित प्रकार से इन मदों का प्रापण करने के बजाए राज्य को तदनुसार प्रापण करने में समर्थ बनाने हेतु अनुदान की दूसरी किश्त में शामिल कर दिया गया था।

अनुशंसा

- ***औषधि किटों के प्रापण हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को निधियाँ जारी करने के अतिरिक्त मंत्रालय को निधियों के सामयिक उपयोग पर प्रगति तथा आं.के. को प्रापण किटों की अंतिम आपूर्ति को मानीटर करना चाहिए।***

4.6 आं.के. हेतु फ्लैक्सी निधि पर व्यय में कमी

मंत्रालय ने (मई 2009) वर्ष 2009-10 से लागू फ्लैक्सी निधि के रूप में ₹1000 प्रति वर्ष प्रति आं.के. प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किए। लक्ष्य क्रियाशील आवश्यकताओं तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों से उजागर व्यय को पूरा करने हेतु नम्यता प्रदान करके योजना के क्षेत्र को बढ़ाना था। राज्य सरकार/सं.शा.क्षे. प्रशासन को इस निधि के उपयोग हेतु राज्य विनिर्दिष्ट रीतियाँ तैयार करनी थी जिससे की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। निधि को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपनी स्वयं की समझदारी से संचालित किया जाना था।

आं.के. को फ्लैक्सी निधि प्रदान करने हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को जारी निधियों तथा इनके द्वारा व्य.वि. में मंत्रालय को सूचित व्यय के विश्लेषण ने इस संबंध में व्यय में सार्थक कमी प्रकट की। राज्य, जो किसी भी आं.के. को फ्लैक्सी निधि का संवितरण नहीं कर रहे थे तथा जहाँ फ्लैक्सी निधि प्रदान करने पर व्यय में कमी 30 *प्रतिशत* से अधिक थी, को नीचे सूचीबद्ध किया गया है (राज्य वार ब्यौरे **अनुबंध 4.10** में दिए गए हैं):

तालिका 4.5: आं.के. को फ्लैक्सी निधि प्रदान करने हेतु निधियों का असंवितरण

वर्ष	राज्य जिन्होंने आं.के. को फ्लैक्सी निधि प्रदान करने हेतु कोई राशि संवितरित नहीं की थी	राज्य जहाँ कमी 30 से 99 *प्रतिशत* थी
2009-10	असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड **(14)**	पश्चिम बंगाल - 53 *प्रतिशत*, मध्य प्रदेश - 39 *प्रतिशत* **(2)**
2010-11	बिहार, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, तमिलनाडु तथा	पश्चिम बंगाल - 97 *प्रतिशत*, आन्ध्र प्रदेश - 79 *प्रतिशत*, पंजाब

वर्ष	राज्य जिन्होंने आं.के. को फ्लैक्सी निधि प्रदान करने हेतु कोई राशि संवितरित नहीं की थी	राज्य जहाँ कमी 30 से 99 *प्रतिशत* थी
	उत्तर प्रदेश **(10)**	- 43 *प्रतिशत* **(3)**

2689 आं.के. की नमूना जांच ने आगे प्रकट किया कि वर्ष 2009-11 के दौरान, फ्लैक्सी निधि 1274 आं.के. (47 *प्रतिशत*) को प्रदान की गई थी। इसे शेष 1415 आं.के. (53 *प्रतिशत*) हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

- चार राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा हरियाणा) में फ्लैक्सी निधि सभी 750 नमूना जांच किए आं.के. को प्रदान की गई थी।
- छत्तीसगढ़, गुजरात तथा हरियाणा में नमूना जांच किए आं.के. द्वारा फ्लैक्सी निधि हेतु उपयुक्त लेखे का अनुरक्षण किया गया था। आन्ध्र प्रदेश में फ्लैक्सी निधि हेतु उपयुक्त लेखे का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- छः राज्यों (बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, मेघालय, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में किसी भी नमूना जांच किए 1245 आं.के. को फ्लैक्सी निधियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।
- तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान) में 694 नमूना जाँच आं.के. में से 524 को फ्लैक्सी निधि प्रदान की गई थी। तथापि, 448 नमूना जांच किए आं.के. ने फ्लैक्सी निधि हेतु उपयुक्त लेखे का अनुरक्षण नहीं किया था।

इस प्रकार, सभी आं.के. को फ्लैक्सी निधि प्रदान करने में राज्य सरकारों की विफलता न केवल योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थी बल्कि इसने उन आं.के. को अप्रत्याशित परिस्थितियों से संलग्न जोखिमों, जिनकी फ्लैक्सी निधि प्रदान करके ध्यान रखे जाने की योजना की गई थी, को प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने, अपनी ओर से, प्रदत्त अनुदान उद्देश्य जिसके लिए यह जारी की गई थी के उपयोग को मॉनीटर करने में विफल रहा।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्य/सं.शा.क्षे. को आं.के. को फ्लैक्सी निधि के संवितरण पर व्यय न करने हेतु कारणों को प्रस्तुत करने के लिए बार-बार कहा गया था। मामले को समीक्षा बैठकों तथा राज्य दौरों/निरीक्षण के दौरान भी उठाया गया था। इसने बाद में बताया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2012-13 से फ्लैक्सी निधियों को राज्यों को उनके संवितरण हेतु अनुदान की दूसरी किश्त में शामिल कर लिया गया है।

अनुशंसा

- ***मंत्रालय राज्य सरकारों से अनुपालना की मांग करें कि आं.के. को फ्लैक्सी निधियों के संवितरण हेतु जारी निधियां वास्तव में उनको वितरित की गई है।***

4.7 प्रापण पर राज्य विनिर्दिष्ट निष्कर्ष

4.7.1 उत्तर प्रदेश में आपूतिकर्ता को अधिक भुगतान

अध्याय-IV
अवसंरचना विकास

राज्य सरकार के निर्देश (सितम्बर 2001) के अनुसार, विभागों को यू.पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन अथवा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं निगम (रा.सू.वि.के.से.नि.) के माध्यम से कम्प्यूटर तथा परिधियों की खरीद अनुमत थी। राज्य सरकार ने (अगस्त 2004) मेसर्स श्रीटोर्न इंडिया लि. को इनके द्वारा उदृत दरों पर कम्प्यूटरों की आपूर्ति हेतु प्राधिकृत किया।

राज्य स.बा.वि.से. निदेशालय ने (अक्तूबर 2009) परियोजना कार्यालय हेतु ₹6.08 करोड़ की लागत पर 820 कम्प्यूटरों, प्रिंटरों तथा यू.पी.एस. की खरीद संस्वीकृत की। मदों की आपूर्ति नवम्बर-दिसम्बर 2009 के दौरान की गई थी। सकल दर (करों, भाड़ा, आपूर्तिकर्ता की अभिकरण कमीशन सहित) प्रति कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. क्रमशः ₹49,932, ₹16,315 तथा ₹7,884 थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जबकि आपूर्ति आदेश 14 अक्तूबर 2009 को आपूर्तिकर्ता को दिया गया था तथा नवम्बर-दिसम्बर 2009 के दौरान सामान की आपूर्ति की गई थी फिर भी फर्म के साथ करार 26 अप्रैल 2010 को किया गया था। इसके अतिरिक्त, दरों को निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना निर्धारित किया गया था। विभाग के अभिलेखों के अनुसार, निविदा प्रक्रिया से समय की कमी तथा कार्य के महत्व के कारण बचा गया था।

सुपुदर्गी चालानों तथा वास्तविक उपकरण निर्माता, मेसर्स एच.सी.एल. इंफोसिस्टम, की नमूना जांच ने प्रकट किया कि इन मदों की मेसर्स श्रीटोर्न द्वारा प्रभारित मूल्यों से काफी कम लागत पर आपूर्ति की गई थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया है:

तालिका 4.6: कम्प्यूटर्स तथा परिधीय की दरों में अंतराल के ब्यौरे

मद	मेसर्स श्रीटोर्न को अनुमत मूल मूल्य	मेसर्स एच.सी.एल. द्वारा प्रभारित मूल्य	मूल्यों में अंतराल
एचसीएल प्रो बी एल 1280 कम्प्यूटर	49,932	31,000	18,932
सेमसंग लेसर प्रिंटर	16,315	6,867	9,448
न्योपावर 800 वी ए यूपीएस	7,884	2,670.50	5,213.50

इस प्रकार यह सुस्पष्ट था कि ₹3.33 करोड़[10], कर एवं शुल्कों सहित, के कुल क्रय मूल्य के प्रति निदेशालय ने आपूर्तिकर्ता को ₹6.08 करोड़ अदा किए, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹2.75 करोड़ के अधिक भुगतान हुआ।

---

[10] *एक कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. हेतु मेसर्स एचसीएल द्वारा प्रभारित सकल मूल्य: ₹40,537.50*
820 कम्प्यूटरों, प्रिंटरों तथा यू.पी.एस. की खरीद की कुल लागत: ₹3,32,40,750
प्रापण का सकल मूल्य: ₹3,32,81,288

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि समय की कमी के कारण कम्प्यूटरों की खरीद हेतु निविदा आंमंत्रित न करने के लिए निदेशालय का दावा भी निराधार था। नमूना जिलों में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया था कि 32 में से 31 परियोजनाओं में कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. बिजली के कनेक्शन की कमी के कारण व्यर्थ पड़े थे।

4.7.2 उत्तर प्रदेश में फैक्स तथा फोटोस्टेट मशीन की खरीद पर व्यर्थ व्यय

विभाग ने तहसील स्तरों पर बा.वि.प.अ. कार्यालयों को आपूर्ति हेतु जनवरी 2007 में ₹7,770 प्रति मशीन की दर पर 337 फैक्स मशीनों तथा ₹49,782 प्रति मशीन की दर पर 338 फोटोस्टेट मशीनों का प्रापण किया। प्रापण की कुल लागत ₹1.94 करोड़ थी।

नमूना जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि बा.वि.प.अ. कार्यालयों को प्रदान की गई 41 फैक्स मशीने तथा 41 फोटोस्टेट मशीने बिजली अथवा टेलीफोन कनेक्शन अथवा दोनों की कमी के कारण अभी तक व्यर्थ पड़े थे।

बा.वि.प.अ. कार्यालयों में बिजली तथा टेलीफोन कनेक्शन की उपलब्धता का निर्धारण किए बिना फैक्स तथा फोटोस्टेट मशीनों की आपूर्ति करने से ₹23.59 लाख का व्यय हुआ।

4.7.3 कर्नाटक में गेस स्टोव की अविवेकपूर्ण खरीद

महिला एवं बाल विकास विभाग, कर्नाटक ने मार्च 2011 में आं.के. हेतु गैस स्टोव तथा प्रेशर कूकरों की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं की सूची को संस्वीकृति प्रदान की तथा अंतिम रूप दिया। साथ-साथ, इसने परियोजना कार्यालयों को 38,997 गैस स्टोव तथा प्रेशर कूकरों के प्रापण का निर्देश दिया जिनकी आपूर्ति ₹11.24 करोड़ की लागत पर अप्रैल तथा मई 2011 के दौरान की गई थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन गैस स्टोव तथा प्रेशर कूकरों को गैस कनेक्शनों की माँग के कारण किसी भी नमूना जांच किए आं.के. में उपयोग में नहीं लाया जा सका। राज्य सरकार ने अपेक्षित गैस कनैक्शनों को सुनिश्चित किए बिना इन मदों का प्रापण किया जिसके कारण निष्फल व्यय हुआ।

अनुशंसा

- ***मंत्रालय को आं.के. तथा परियोजना कार्यालयों हेतु भारी प्रापण से पहले मदों की आवश्यकता तथा अवसंरचना की उपलब्धता का उचित रूप से निर्धारण करने हेतु राज्य सरकारों पर बल देना चाहिए।***

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को संबंधित राज्यों के साथ उचित रूप से उठाने हेतु नोट कर लिया गया है।